Nestlé India Limited
(CIN : L15202DL1959PLC003786)
Nestlé House
Jacaranda Marg
'M'Block, DLF City, Phase – II
Gurugram – 122002, Haryana
Phone: 0124 – 3940000;
E-mail: investor@in.nestle.com;
Website: www.nestle.in

Nestlé
Good Food, Good Life

PKR:SG: 40:24 **13th April 2024**

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001
BSE Scrip Code: 500790

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051
NSE Symbol: NESTLEIND

Subject: Newspaper Advertisement for proposed Postal Ballot Notice

Dear Madam/ Sir,

Please find enclosed copies of newspaper advertisements published in the columns of English Daily "Financial Express" Delhi and Mumbai editions and Hindi Daily "Jansatta" Delhi edition on 13th April 2024, both newspapers having electronic editions, intimating details regarding proposed Postal Ballot Notice and e-voting. The same is also being uploaded on the website of the Company at www.nestle.in.

The above is for your information and records.

Thanking you,
Yours truly,

For **NESTLÉ INDIA LIMITED**
PRAMOD KUMAR RAI
Digitally signed by PRAMOD KUMAR RAI
Date: 2024.04.13 19:13:02 +05'30'

PRAMOD KUMAR RAI
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Encl.: *as above*

IN THE NEWS

SRI SRI: INDIA RISES UNDER PM LEADERSHIP

SPIRITUAL GURU Sri Sri Ravi Shankar on Friday said the stature of India has risen across the world due to the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Speaking at an event to felicitate 'Viksit Bharat' ambassadors, Ravi Shankar said a country needs a person (as leader) who can read the minds of people, understand traditions as well as the country.

AAP PLEDGES SUPPORT TO INDIA BLOC IN UP

ANNOUNCING UNCONDITIONAL support to the INDIA bloc candidates in Uttar Pradesh in the Lok Sabha polls, the Aam Aadmi Party (AAP) on Friday said that these elections are being held to save democracy and end "autocracy".

CONG CENTRAL PANEL TO PICK CANDIDATES

TOP CONGRESS leaders will discuss and decide on the party candidates from Punjab, Haryana, Bihar and Delhi at a meeting of the central election committee to be held on Saturday evening. The central election committee chaired by party chief Mallikarjun Kharge is likely to meet at 4 pm on Saturday. The meeting will discuss the candidates. AGENCIES

DID YOU KNOW?

- THE RECORD FOR HIGHEST VICTORY MARGIN IN LS POLLS – 696,000 VOTES – WAS SET BY PRITAM MUNDE IN OCT 2014 WHEN SHE WON THE BYPOLL TO BEED SEAT IN MAHARASHTRA.
- ACCORDING TO EC DATA, THERE ARE SIX NATIONAL PARTIES, 26 STATE PARTIES AND 2301 REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES IN INDIA.

SLAMS 'MUGHAL MINDSET' OF INDIA BLOC LEADERS

PM: 'Day is not far' for J&K statehood, Assembly polls

Attacks Oppn for skipping Ayodhya ceremony, making video of mutton during *Saawan*

ARUN SHARMA
Udhampur, April 12

PRIME MINISTER NARENDRA Modi told the people of Jammu & Kashmir on Friday that statehood will be restored and "the day is not far" when Assembly elections will be held there.

Underlining that there has been a lot of change in J&K in the last 10 years and "development has replaced militancy" – J&K lost its special status in August 2019 and its statehood in October that year when it was divided into the Union Territories of J&K and Ladakh – Modi, addressing a BJP rally, said, "Aap logo ne bahut saare kasht jhele hain. Maine aap ke liye bahut bada sapna dekha hai. Hum rajya ka darja bahal karenge (You have suffered a lot. I have a very big dream for you. We will restore statehood)."

The rally was held to mobilise support for BJP's Lok Sabha candidates Dr Jitendra Singh (Udhampur) and Jugal Kishore Sharma (Jammu).

"The day is not far when Assembly elections will be held in J&K. Everybody will be visiting his own MLA and Minister," Modi said.

Describing the development works undertaken in the UT as "a trailer", he said, "I have to get down to work on making a new and beautiful picture" of J&K.

BJP supporters wear face masks of Prime Minister Narendra Modi during a rally ahead of the Lok Sabha polls, in Udhampur on Friday ANI

He said the development works have changed the situation completely and instilled greater confidence among the people.

"Mothers of our brave soldiers need not worry because there are no more incidents of stone-pelting" in the Valley, he said. "Mothers in Kashmir Valley, who earlier used to worry that their sons had fallen into the wrong hands when they did not return home for 3-4 days, also bless me a lot today because now they can have a sound sleep at home."

Schools are not burnt now, but are decorated, he said, adding that the construction of AIIMS, IITs, IIMs, modern tunnels, wider roads and comfortable train journeys have transformed J&K, and a record number of tourists and pilgrims are visiting the UT.

He said large companies and industries from across the country and abroad will come to J&K in greater numbers, and along with tourism, it will also be known for its start-ups.

"Whatever has happened in the last 10 years is only a trailer. I have to take Jammu and Kashmir to new heights of development," he said, attacking the Congress, NC and PDP. These parties, he said, are run by families opposed to development and heritage.

For power, he said, they erected "a wall of Article 370", not allowing the people of J&K to look outside, nor letting people outside look at J&K. "With your blessings, Modi has not only demolished that wall, but also buried its rubble."

He said it is the right of an individual to eat vegetarian or non-vegetarian food. "The law does not stop anyone from eating anything, and Modi will also not stop anyone. But the intentions of these people (Opposition leaders) are something else. When the Mughals attacked here, they were not satisfied until they demolished the temples. Just like the Mughals, they want to tease the people of the country by showing the video in the month of Saawan," he said.

States will decide on NEET if INDIA bloc wins: Rahul

PRESS TRUST OF INDIA
Tirunelveli (TN), April 12

CONGRESS LEADER RAHUL Gandhi on Friday assured a legislation to provide apprenticeship to young people and filling nearly 3 million vacant government jobs.

Addressing his first election rally in Tamil Nadu, Rahul Gandhi dubbed the National Eligibility cum Entrance Test anti-poor. "I know, the people of Tamil Nadu have a big issue with NEET. We are going to leave the decision to the state; on whether you want to do NEET or not to do NEET. NEET is an anti-poor exam and we are more than happy to allow you (Tamil Nadu) to take a decision on whether or not to take the exam."

Picking from ally DMK's campaign themes, the Congress leader said when Tamil Nadu sought flood relief, it is "refused," by the Centre. The ruling DMK has been consistently focusing on the ₹37,000 crore flood relief sought by Tamil Nadu alleging that the Union government did not give even a single paisa.

The Centre labels Tamil Nadu's request for flood relief as "Pitchai," a plea made to seek "alms," Gandhi alleged. DMK and Congress have been alleging that BJP leader Nirmala Sitharaman belittled flood relief as "pitchai." When fishermen seek assistance they get nothing from the Centre and similar is the plight of Tamil farmers, who are forced to go to Jantar Mantar in Delhi to fight for their rights, he claimed.

Outlining the features of Congress party's 2024 LS polls manifesto, he said if the INDIA bloc is voted to power at the Centre, "drastic action" will be taken to provide employment opportunities to the young people. There are 3 million vacant jobs in the government and these jobs will be provided to young people, he said.

Senior Congress leader P Chidambaram receives party leader Rahul Gandhi at Madurai airport, on Friday PTI

YouTube curbs monetisation of videos raising EVM issue

DAMINI NATH
New Delhi, April 12

MONTHS AFTER YOUTUBE began adding disclaimers to videos pertaining to the efficacy of the Electronic Voting Machines (EVM), the online platform has started to limit monetisation of such videos, which means the creators will not get their share of advertisement revenue earned from these videos.

The creators of these videos suspect that they have faced the action because they raised the issue of EVMs, while YouTube has cited its advertiser-friendly guidelines that say videos with demonstrably false information are not eligible for ad revenue.

When reached for comment, a YouTube spokesperson told The Indian Express: "All channels on YouTube must comply with our Community Guidelines. Creators who wish to monetize their videos with ads are held to an even higher bar and must also comply with our Advertiser-Friendly Guidelines. Any claims that are demonstrably false and could significantly undermine participation or trust in an electoral or democratic process are in violation of our policies. These guidelines are enforced consistently, regardless of the creator, their background, political viewpoint, position or affiliation."

ADVERTISER-FRIENDLY NORMS

- YouTube limits monetization on EVM-related videos
- Creators suspect censorship due to EVM discussions
- YouTube cites advertiser guidelines for demonetisation
- Sohit Mishra's videos on EVM affected by demonetisation
- Mishra and Meghnad request review for demonetised videos
- YouTube blocks ads on videos with false claims
- Eligibility for ad revenue on YouTube outlined

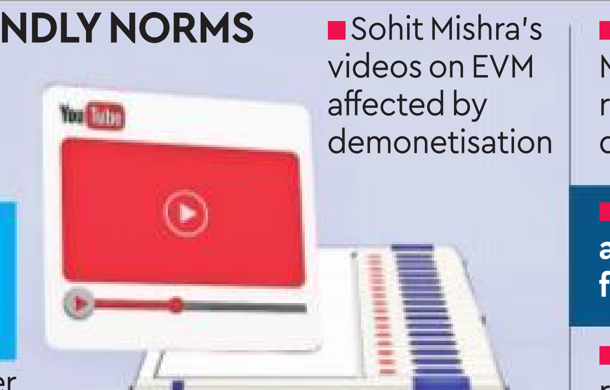

Sohit Mishra, an independent journalist whose YouTube channel Sohit Mishra Official has over 3.68 lakh subscribers, said four of his videos that talk about EVMs have been affected by limited monetisation. In one case, after he requested YouTube for a review, monetisation was switched on again, while three videos remain on "limited monetisation".

In one of those videos, Mishra speaks to a software expert, a senior journalist and commentator, a political leader and another creator about EVMs. The discussion spans over an hour and the video title reflects the topic – "Questions over the EVM, one-sided Election Commission and a weak democracy".

Uploaded on March 8, the video has over 94,000 views as of Friday. Another video that was affected, titled "Will there be free and fair elections in India?", was uploaded on March 25 and has over 40,000 views. In it, Mishra asks whether the elections are truly free and fair when Central agencies are acting against Opposition leaders and parties and concerns about the EVM have not been addressed by the poll panel.

The third video of Mishra's that had limited demonetisation is about BJP members appointed as independent directors of Bharat Electronics Ltd, one of the two PSUs that manufactures the EVMs. He cites a letter written by retired IAS officer E A S Sarma to the Election Commission asking the EC to intervene in the matter. While the video was uploaded on January 30 and has over 1.5 lakh views, the monetisation was limited recently, Mishra said.

"Dear @YouTubeIndia even when I am interviewing the petitioner in the EVM case, YouTube says it's against their community guidelines and there will be almost no ad revenue. This is the third such video where we are speaking to EVM experts and YouTube has stopped the monetization!

Gadkari relies on proven track record in Nagpur

VALLABH OZARKAR
Nagpur, April 12

A FORMER CONGRESS stronghold and the seat of the RSS headquarters, Nagpur has been a comfortable victory for the BJP in the last two Lok Sabha polls, with Union Minister Nitin Gadkari racing to comfortable wins in both 2014 and 2019. But with its vote share having gone up 10 percentage points last time, and people in the city talking about local issues such as unemployment, inflation, lack of industries, and civic amenities, the Congress believes it is in with a chance this time around.

A national face, Gadkari is regularly cited as one of the best-performing Union Ministers and is seeking votes on the plank of the development work done by the Narendra Modi government and his track record in the Central government in the last two terms. "There is no doubt about victory but we should strive for 75% vote share for the BJP in Nagpur," a confident Gadkari says at a gathering in Nagpur, where his supporters say they will help him win by over five lakh votes this time. The constituency is among five of Maharashtra's 48 Lok Sabha constituencies that vote in the first phase on April 19.

Union minister and BJP candidate Nitin Gadkari campaigns in the Nagpur Lok Sabha constituency

Echoing the Union Minister, state BJP president Chandrashekhar Bawankule says, "Gadkari ji will poll more than 65% of the total polls. We are confident our victory margin will increase. His work in infrastructure development is his success," he says. BJP insiders say Gadkari, a former BJP national president, played an important role along with current Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, who is also from Nagpur, in consolidating the BJP's presence in the larger Vidarbha region.

But the Congress, undone by infighting last time that saw its current state president Nana Patole lose to Gadkari by 2.84 lakh votes, believes it has chosen a strong candidate in Nagpur Congress president Vikas Thakre who the Nagpur West MLA, one of the Assembly segments of the parliamentary constituency and one that Fadnavis has represented twice. Thakre, Congress insiders say, is a popular figure because of his tenure as a former Nagpur mayor and is also viewed as an accessible leader. The Congress candidate is also banking on anti-incumbency against the BJP that runs the civic body.

"The people of Nagpur are concerned about jobs, inflation and civic facilities such as water and electricity. The civic body is with the BJP but they are still not able to provide water and roads are in a pathetic condition."

New Delhi Municipal Council
OFFICE OF THE DIRECTOR (TAX)
PALIKA KENDRA: NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

It is hereby brought to the notice of the general public and all concerned that in pursuance of Section-70 of the NDMC Act, 1994 (hereinafter referred to as the Act) the Assessment List for the year 2024-2025 of all lands and buildings in NDMC area is available for inspection in Room No. 9006, 9th Floor Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi. It is proposed to adopt the Assessment List as amended till 10/04/2024 under Section 73 of the Act after suitable amendments, if any, under order of the Court of Under Section 72 of the Act or after assessment of the Rateable Value.

2. Every person claiming to be owner, lessee or occupier of any land or building in NDMC area included in the assessment list and any authorized agent of such person may inspect the list in Property Tax Department of NDMC and take extracts from the same, free of charges. Owners can also check their details on NDMC Website **www.ndmc.gov.in** with already given I.D. (P.I.D No.) and password (D&C No.) without paying visit to NDMC building.

3. Owners may file their objections, if any, against the list. Objections received in response to this Public Notice upto 15.05.2024 shall be duly considered. However, objections received prior to 15.04.2024 or after 15.05.2024 shall not be taken into consideration for the exercise. Objections must be made in prescribed performa available on NDMC website and submitted in Room No. 9006 at 9th Floor, Palika Kendra, NDMC, New Delhi, on all working days between 10:00 A.M. to 1:00 P.M. or send e-mail address at **director.tax@ndmc.gov.in.**

4. Objections to the Assessment List are not necessary, where the rateable value is likely to be revised with retrospective effect as a consequence of decision on pending notices issued under Section 72 of the Act or in remand back cases or with any directions/ orders passed by any competent Court of Law in any case. Assessment list in all such cases is provisional only and are subject to finalization as per legal provisions.

Director (Tax)

NESTLÉ INDIA LIMITED
(CIN: L15202DL1959PLC003786)
Regd. Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001
Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in; Ph: 011-23418891

NOTICE TO THE MEMBERS

Dear Member(s),

Pursuant to Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and rules made thereunder read with applicable guidelines/circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in this regard, members may note that Nestlé India Limited ('Company') is proposing to seek consent of the members through postal ballot by way of electronic voting ('Remote e-Voting') facility, to transact the business set out in the Postal Ballot Notice ('Notice'), which will be sent to the members in due course. The details of the process and manner to cast vote through Remote e-Voting facility will be provided in the Notice.

Electronic copy of the Notice will be sent, only by email, to those members whose e-mail address is registered with the Company/ Depository Participant(s) as on Friday, 12th April 2024 ('cut-off date') fixed for the purpose. The Notice will also be available on the website of the Company (www.nestle.in); BSE Limited (www.bseindia.com); National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and National Securities Depository Limited (www.evoting.nsdl.com).

Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their email address(es) with the Company, may obtain the Notice and/or login details to cast their vote through Remote e-Voting facility or for receiving any future communication by the Company, by sending following documents via email to investor@in.nestle.com followed by sending the physical copy of the same through post at the Registered Office of the Company.

a. Duly filled and signed request letter in Form ISR-1, which is available on website of the Company;
b. Self-attested scanned copy of the PAN Card linked with Aadhaar; and
c. Self-attested scanned copy of any document in support of the address (such as Aadhaar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) of the member and such other documents as prescribed in the Form ISR-1.

Members holding shares in demat form may update their e-mail address with their Depository Participant(s).

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the Act and MCA Circulars.

Date: 12th April 2024
Place: Gurugram

For Nestlé India Limited
Pramod Kumar Rai
Company Secretary

राजकुमार के आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने दिन भर किया प्रदर्शन

कहा कि जिन्होंने वोट दिया, वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मंत्रिमंडल एवं पार्टी से इस्तीफा देने वाले राज कुमार आनंद के पटेल नगर स्थित आवास के बाहर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता अंकुश नारंग ने कहा कि पिछले चार साल से आनंद 'आप' के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उन लोगों से कई विकास परियोजनाओं का वादा किया था, जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

आनंद पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उन्होंने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवेश रत्न को हराकर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि आज आप के कई कार्यकर्ताओं और यहां तक कि पटेल नगर के निवासियों ने भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।

ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार में समाज कल्याण सहित विभिन्न विभाग संभाल रहे आनंद ने बुधवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और भ्रष्टाचार एवं पार्टी में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए आप भी छोड़ दी थी।

नारंग ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के डर से आनंद ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक आप पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, जो बिना किसी अनुमति के आनंद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कहा कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।

आइटीओ पर लगाया बैनर

केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप ने दिल्ली में बड़े बैनर के साथ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को आइटीओ पैदल पथ पार और प्रगति मैदान पुल पर हाथ में 'जेल का जवाब वोट से' का बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

आतिशी ने कहा

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। ऐसा करना गैरकानूनी, गैर संवैधानिक व दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। भाजपा जानती है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीतने वाली है इसलिए अरविंद केजरीवाल की लोकप्रिय दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है।

आतिशी ने कहा कि भाजपा के इशारे पर पहले अरविंद केजरीवाल को फर्जी आरोपों में बिना किसी प्रमाण के गिरफ्तार किया गया और अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। लेकिन दिल्ली के लोगों को इस साजिश से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक केजरीवाल दिल्ली के बेटे के तौर पर खड़े है, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, वो दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

उन्होंने कहा हमें विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। पिछले कुछ दिनों से इसके 5 संकेत देखने को मिल रहे है।

दिल्ली भाजपा का पलटवार

आतिशी मानहानि नोटिस के डर से गढ़ रही हैं नई कहानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को कोर्ट से पड़ी फटकार और आतिशी को दिल्ली भाजपा के मानहानि नोटिस का अब असर दिखने लगा है। 'आपरेशन लोटस' की झूठी कहानी के बाद अब नई कहानी वो गढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि 62 विधायकों वाली पार्टी को राष्ट्रपति शासन का भय सता रहा है, ये बात समझ से बाहर है। आतिशी बताएं कि क्या उनके अधिकांश विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं, जो उन्हें बहुमत की सरकार गिरने का डर सता रहा है। बेहतर होगा केजरीवाल इस्तीफा देकर नए मुख्यमंत्री को सरकार सौंपे और दिल्ली का प्रशासन चलने दें। केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की व्यवस्था सुविधा चाहते हैं। आतिशी अपने विधायकों को सिर्फ डराकर एकजुट रखने का प्रयास कर रही हैं।

दिल्ली नगर निगम ने शुरू की मानसून की तैयारियां

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आगामी मानसून मौसम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नालों में भरी गादों को तेजी से समयबद्ध तरीके से निकालने व सफाई की व्यापक कार्य योजना तैयार की है। सभी जोन में 4 फीट व उससे ऊपर के नालों से 4460.22 मीट्रिक टन गाद निकाल दी गई है। पर्याप्त संख्या में उपकरण व मशीनरी और प्रशिक्षित कर्मियों के साथ निर्धारित तरीके से गाद निकालने का काम किया जा रहा है।

बता दें निकाली गई गाद को लैंडफिल साइट पर भेजा जा रहा है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। अभी तक कुल 452.72 किलोमीटर की लंबाई वाले 695 नालों से गाद हटाने का काम चल रहा है। एमसीडी ने पीडब्ल्यूडी, डीडीएसआइआइडीसी सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग से भी नालों की सफाई की अपील की है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्
कार्यालय निदेशक (कर)
पालिका केन्द्र: नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

आम जनता और सभी संबंधितों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा–70 (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में एनडीएमसी एरिया में सभी भूमि एवं भवनों की वर्ष 2024–2025 के लिए मूल्यांकन सूची निरीक्षण के लिए कमरा नं. 9006, 9वां तल, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली में उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत कोर्ट के आदेश के अधीन उचित संशोधन, यदि कोई हो, के बाद या करयोग्य मूल्य के मूल्यांकन के बाद अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत 10.04.2024 तक संशोधित अनुसार मूल्यांकन सूची को धारित करने का प्रस्ताव है।

2. मूल्यांकन सूची में शामिल किए गए एनडीएमसी एरिया में किसी भी भूमि या भवन के मालिक, पट्टेदार या अधिवासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों का कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि एनडीएमसी के संपत्ति कर विभाग में सूची का निरीक्षण कर सकता है और निःशुल्क इसका उद्धरण प्राप्त कर सकता है। मालिकगण एनडीएमसी बिल्डिंग का दौरा किए बिना भी पहले से दिये गये आई.डी. (पी.आई.डी. नं.) और पासवर्ड (डीएंडसी नं.) के साथ एनडीएमसी वेबसाइट **www.ndmc.gov.in** पर उपलब्ध अपने विवरणों की जांच कर सकते हैं।

3. मालिकगण सूची के खिलाफ अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, को दर्ज करा सकते हैं। इस सार्वजनिक सूचना के उत्तर में 15.05.2024 तक प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि, 15.04.2024 से पहले या 15.05.2024 के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर इस संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियां एनडीएमसी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए और इन्हें कमरा नं. 9006, 9वां तल, पालिका केन्द्र, एनडीएमसी, नई दिल्ली में सभी कार्यदिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से अप. 1.00 बजे के बीच जमा किया जा सकता है या ई–मेल पते **director.tax@ndmc.gov.in** पर भी भेजा जा सकता है।

4. मूल्यांकन सूची पर आपत्तियां उन मामलों पर आवश्यक नहीं हैं जहां अधिनियम की धारा 72 के तहत जारी लंबित नोटिस पर निर्णय के परिणामस्वरूप या रिमांड बैक मामले या किसी भी मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्देश/आदेश के साथ पूर्वव्यापी प्रभाव से करयोग्य मूल्य को संशोधित किए जाने की संभावना है। ऐसे सभी मामलों में मूल्यांकन सूची केवल वैकल्पिक है और यह कानूनी प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिये जाने के अधीन है।

निदेशक (कर)

खबर कोना

आइपीयू में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए शुरू हुई दाखिला प्रक्रिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

आइपीयू ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुलपति प्रो महेश वर्मा ने शुक्रवार को द्वारका परिसर में दाखिले से संबंधित पुस्तिका भी जारी की। इस मौके पर रिपब्लिक आफ गांबिया के उच्चायुक्त मुस्तफा जवारा भी मौजूद रहे। कुलपति ने कहा कि नए सत्र से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आइपीयू के पूर्वी परिसर में अलग से छात्रावास प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल की तरह ही विभिन्न प्रोग्राम की इंटेक की 25 प्रतिशत सीटें अलग से आरक्षित होंगी। आवेदन फार्म आइपीयू की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

डूटा ने किया अग्रसेन कालेज गेट पर धरना-प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने दिल्ली सरकार के 12 वित्तपोषित कालेजों में पिछले कई वर्षों से चले आ रहे वित्तीय संकट को हल करवाने, मंत्री आतिशी के पत्र को वापस लेने और नियमित सहायक प्रोफेसर व कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन कालेज गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। डूटा कई वर्षों से लगातार उक्त मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल से गुहार लगा रहा है लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। डूटा का यह चौथा क्लस्टर धरना था, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। डूटा अध्यक्ष प्रो एके भागी ने अपने संबोधन में कहा कि आप के सरकार में आने के बाद से इन कालेजों का संकट शुरू हो गया है।

रूसी विश्वविद्यालय के साथ डीयू ने किया करार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

रूस के एचएसई विश्वविद्यालय की रेक्टर निकिता अनिसिमोव ने प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को डीयू का दौरा किया। इस दौरान एचएसई विश्वविद्यालय रूस और डीयू के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता और निकिता अनिसिमोव ने दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। डीयू के कुलपति प्रो योगेश सिंह ने कहा कि दोस्ती की भावना से दोनों विश्वविद्यालयों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग की दिशा में यह पहला कदम है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया।

निगम के अधिकारियों पर लगा जब्त वाहनों को बेचने का आरोप

शिकायतकर्ता ने निगमायुक्त से जांच की मांग की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में हैरान करने वाला वाक्या सामने आया है, जहां जोन के कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत कर जब्त की गई गाडियों को बिना अनुमति के बेच दिया है। मामला शाहदरा दक्षिणी जोन के झिलमिल इलाके में बने एमसीडी स्टोर का है। यही नहीं इस मामले लेकर एक शिकायतकर्ता द्वारा निगमायुक्त, महापौर, नेता प्रतिपक्ष व दिल्ली पुलिस आयुक्त को जानकारी भी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने इस शिकायत पर निगमायुक्त को कार्रवाई करने की मांग भी की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिन मीणा नामक शिकायतकर्ता ने जोनल एओ व लाइसेंस इंस्पेक्टर पर साल 2010-2021 के बीच जब्त किए गए वाहनों को बेचने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग निगमायुक्त से की है। दरअसल, एमसीडी एक्ट के अनुसार जब्त किए गए सामान चाहे वो रेहड़ी हो या अन्य वाहन को निलामी के दौरान ही बेचा जा सकता है। जिसके लिए अखबार में पहले पब्लिक नोटिस व टेंडर नोटिस भी जारी कर अधिकृत कबाड़ी व्यापारी को बेचा जाता है, लेकिन बिना कागजी कार्रवाई के जब्त वाहनों को बिना स्वीकृति के ही विक्रय कर दिया गया है।

शिकायतकर्ता ने निगमायुक्त से मांग की है कि वो शाहदरा दक्षिण जोन के जनरल ब्रांच से 2010-2021 तक जब्त किए गए वाहनों का रिकार्ड मांगे ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आए। एओ व लाइसेंस इंस्पेक्टर पर शिकायतकर्ता ने 1-3 अप्रैल के बीच 600 से अधिक वाहन व अन्य जब्त सामान बेचने का आरोप लगाया है।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन,
कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
हेल्पलाइन न. 1800-111-400 और 1950: वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

लोक सभा आम चुनाव, 2024 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

एक्जिट/ओपीनियन पोल इत्यादि पर प्रतिबंध

ध्यान दें: न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनल इत्यादि

जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576 / एक्जिट / 2024 / एसडीआर-खण्ड 1 दिनॉक 28/03/2024 की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके, जो कोई हो, में **एक्जिट पोल, ओपिनियन पोल / किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा।** यह अधिसूचना सभी संबंधितों की सूचना और अनुपालन हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत की जाती है:-

1. यतः लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 तथा आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 और बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवम् तमिलनाडु की राज्य विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग की दिनाँक 16/03/2024, के प्रेस नोट संख्या ई.सी.आई/पी.एन/23/2024 और ई.सी.आई / पी.एन/24/2024 के द्वारा की गई थी,
2. और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और इसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा,
3. यतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, **19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे तथा 01 जून, 2024 (शनिवार) को अपराह्न** 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 तथा आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 और उपरोक्त संदर्भित प्रेस नोट के माध्यम से घोषित राज्य विधान सभा के लिए उप-निर्वाचनों, जो कि लोक सभा साधारण निर्वाचनों के साथ-साथ आयोजित होंगे, के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

ह०/-
(राजेश कुमार)
विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

मतदान के लिए, आपका नाम निर्वाचक नामावली में होना अनिवार्य है!
DIP-SHABDARTH-CLASSIFIED-0013-24-24
चुनाव का पर्व DESH KA GARV

दानिप्स के 23वें बैच का पासिंग आउट परेड हुआ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 अप्रैल।

दिल्ली पुलिस अकादमी, झरोदा कलां में दानिप्स अफसरों के 23 वें बैच का शुक्रवार को पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। इन अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरी होने के बाद आयोजित परेड समारोह में शपथ लिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी उपस्थित थे।

शुक्रवार को शामिल हुए सात दानिप्स अफसरों में दो महिलाएं भी हैं। सभी प्रकार के तकनीकी और अन्य कानूनी जानकारियों से प्रशिक्षित अधिकारियों में छह के पास बी टेक की डिग्री जबकि एक के पास एलएलबी की है। ये अलग अलग राज्यों राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से हैं। प्रशिक्षण यूनिट की विशेष आयुक्त छाया शर्मा ने मुख्य अतिथि ने मेहमानों का स्वागत किया। आयुक्त संजय अरोड़ा ने सभी पास दानिप्स अधिकारियों को बधाई दी और उन्हें लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने पर जोर दिया।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
CIN : L15202DL1959PLC003786
पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001
ई-मेल: investor@in.nestle.com, वेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891

सदस्यों के लिए सूचना

सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 व धारा 108 और उनके तहत बनाए गए नियमों साथ में पठित कॉरपारेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उचित दिशा-निर्देशों / परिपत्रों ('एमसीए परिपत्रों') और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसरण में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') इलैक्ट्रोनिक वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट नोटिस ('नोटिस') में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन हेतु, जो नियत समय पर सदस्यों को भेजा जाएगा, सदस्यों की सहमती प्राप्त करने का प्रस्ताव कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया और तरीके का विवरण नोटिस में प्राप्त किए जा सकेंगें।

नोटिस की इलैक्ट्रानिक प्रति केवल उन सदस्यों को ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी, जिनका ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ शुक्रवार, 12 अप्रैल 2024 ('कट-ऑफ डेट') को पंजीकृत है। नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.nestle.in); बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com); नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगा।

भौतिक पद्धती में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं कराया है, वे ईमेल द्वारा investor@in.nestle.com पर निम्न दस्तावेजों की प्रति भेज कर नोटिस अथवा ई-वोटिंग करने के लिए लॉग-इन विवरणों एवम् कंपनी द्वारा भावी संचार को प्राप्त कर सकते है, जिसकी भौतिक प्रति डाक के माध्यम से कपंनी के पंजीकृत कार्यालय में भेंजें:

क. विधिवत भरा और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र (फार्म आईएसआर-1), जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है;
ख. आधार से लिंक पैनकार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति; तथा
ग. किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की कंपनी में यथा पंजीकृत पते के समर्थन में उसकी स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

डीमैट प्रारूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल अपडेट करवा सकते है।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा हितों के लिए दी जा रही है और अधिनियम तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में है।

तिथि: 12 अप्रैल 2024
स्थान: गुरूग्राम

कृते नेस्ले इंडिया लिमिटेड
प्रमोद कुमार राय
कंपनी सचिव

www.readwhere.com